नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

एक नजर में

सितंबर तक रेत खनन पर लगा है प्रतिबंध

ग्वालियर. जिले में वर्षा ऋतु के दौरान रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा रेत खदानों के पहुँच मार्ग बंद कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिले की सभी रेत खदानों में 30 सितंबर तक खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है. प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुँचकर खदानों के पहुँच मार्ग अवरुद्ध करा रही है.

90% से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षक होंगे सस्पेंड

ग्वालियर. अब 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षक सस्पेंड किए जाएंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में डीईओ से रिपोर्ट मांगी है. प्राचार्य-अफसरों पर भी एक्शन होगा. प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर करीब 4.25 लाख शिक्षक पदस्थ हैं. विभाग ने 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और शैक्षणिक अमले के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य की. पहले ई-अटेंडेंस 90 प्रतिशत से कम होने पर शिक्षकों को स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन करने से भी रोका गया था. वेतन कटौती के बाद अब सस्पेंशन भी होगा. शिक्षक संगठन लगातार ई-अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं.

जुए की फड़ पर छापे में 10 जुआरी गिरफ्तार

धार. जिले की सादलपुर पुलिस ने जुए की फड़ पर दबिश देकर 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 25 हजार 640 रुपये नकद और ताश के पत्ते जब्त किए हैं. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बदनावर अरविंद सिंह तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सविता चौधरी के नेतृत्व में की गई.

अल्पवर्षा : राज्य सरकार अलर्ट पर

सीएम ने अल्पवर्षा की आशंका के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को चुनौती नहीं, बल्कि बेहतर योजना, वैज्ञानिक खेती और समयबद्ध तैयारी के अवसर के रूप में लिया जाए. सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को समय पर जरुरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं, जिससे प्रदेश में कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में इस वर्ष प्रदेश में संभावित अल्प वर्षा की स्थिति के मद्देनज़र किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जल संसाधन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य संबंधित विभागों की अब तक की पूर्व तैयारियों की गहन समीक्षा की.

इस दौरान बताया गया कि रियल-टाइम मॉनिटरिंग एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए राज्य स्तरीय जल डैशबोर्ड बनाए जाएंगे. जन-जागरूकता महाअभियान जल गंगा संवर्धन की तर्ज पर जनभागीदारी आधारित सतत् अभियान चलाए जाएंगे. प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जल संकट आकस्मिक योजना बनाई जाएगी.

किसान जल्दबाजी में बुआई नहीं करें: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को जल्दबाजी में बुआई नहीं करने के लिए भी प्रेरित किया जाए. खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद ही बुआई की जाए तथा नमी संरक्षण के उपाय अपनाए जाएं. साथ ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संभावित अल्प वर्षा की स्थिति पर सतत निगरानी रखे हुए है.

कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दें

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश का प्रत्येक किसान मौसम की चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच और उचित तैयारी के साथ करे. समय पर सही निर्णय और विभागों के प्रभावी समन्वय से हम संभावित अल्प वर्षा के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कम पानी और कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती के लिए व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए. उन्होंने ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर तथा कोदो-कुटकी जैसी मोटे अनाज एवं दलहनी फसलों को अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि ये फसलें कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देने के साथ किसानों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं.

शुक्ल ने त्रिपुरा के सीएम का किया अभिनंदन

14वें एओएमएसआई पोस्टग्रेजुएट कन्वेंशन—मिडकॉम्स 2026 में होंगे शामिल

भोपाल, 2 जुलाई. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का गुरुवार को भोपाल स्थित निवास कार्यालय में मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया. इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच समसामयिक विषयों के साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई. कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी स्वप्ना साहा भी उपस्थित रहीं.

डॉ. माणिक साहा इन दिनों मध्यप्रदेश प्रवास पर हैं. वे भोपाल में आयोजित 28वें एओएमएसआई मिड-टर्म कन्वेंशन एवं 14वें एओएमएसआई पोस्टग्रेजुएट कन्वेंशन 'मिडकॉम्स-2026' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया (एओएमएसआई) के मध्यप्रदेश स्टेट चैप्टर तथा पीपुल्स यूनिवर्सिटी, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में यह राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन की थीम 'क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन' रखी गई है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में समग्र और दक्ष सर्जनों का निर्माण करना है.

उफनती नदी पार करने के फेर में बोलेरो पलटी, एक की मौत

जबलपुर, 2 जुलाई. बेलखेड़ा में गुरुवार दोपहर मानेगांव से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो कार कटाव नदी के रपटे पर आए तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में चालक की मौत हो गई.

गाड़ी में सवार उनके चार अन्य साथी तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे. जानकारी के अनुसार बुलेरो क्रमांक एमपी 20 जेड जी 0435 का चालक रवि पिल्ले 45 वर्ष, निवासी सदर बाजार, साथी देवेन्द्र गौड, मयंक बर्मन, चंदन सिंह लोधी तीनों निवासी बेलखेड़ा एवं संदीप बंजारा निवासी शहपुरा के साथ मानेगावं से आ रहा था. लगातार हो रही बारिश के कारण कटाव नदी के पास बने रपटे पर 3 फीट पानी बह रहा था. खतरे को भांपते हुए सडक़ के दोनों ओर दर्जनों राहगीर और ग्रामीण पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे.

ई-नगर पालिका को राष्ट्रीय रजत पुरस्कार

भोपाल, 2 जुलाई. मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में ई-नगर पालिका परियोजना के लिए साइबर सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित रजत पुरस्कार हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. यह सम्मान भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया.

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभाग की ओर से आयुक्त संकेत भोंडवे को यह पुरस्कार प्रदान किया. यह सम्मान डिजिटल प्रशासन, सुरक्षित आईटी अवसंरचना, डेटा संरक्षण तथा नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में विभाग के नवाचारपूर्ण प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है. आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के माध्यम से पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल सेवाओं को प्राथमिकता दी है.

राजस्व एवं पुलिस टीम पर हमला, छह पर प्रकरण दर्ज

सीहोर, 2 जुलाई. जिले के श्यामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पीलूखेड़ी में एक किसान की भूमि पर बोवनी कराने पहुंची राजस्व एवं पुलिस टीम पर कथित हमला किए जाने का मामला सामने आया है.

घटना में तहसीलदार, पटवारी, महिला आरक्षक सहित पांच लोग घायल हो गए. पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार भोपाल निवासी अवधेश सेंगर की 3.236 हेक्टेयर कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा है. भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से बोवनी कराने के लिए श्यामपुर तहसीलदार ने पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले, हल्का पटवारी सुमित मीणा और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. आरोप है कि बोवनी शुरू होने के दौरान विश्राम मेवाड़ा, राजेंद्र मेवाड़ा, पर्वत मेवाड़ा, सीताबाई, कलावती और छिप्रा बाई सहित अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

सोनम की जमानत रद्द करने सुको में याचिका

नव भारत न्यूज

इंदौर. बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. मेघालय सरकार ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

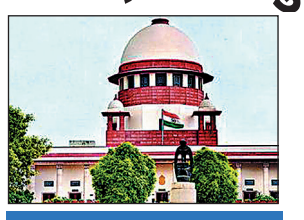

राजा रघुवंशी हत्याकांड

मामले में शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है. राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि परिवार को उम्मीद है कि शीर्ष अदालत इस मामले में उचित फैसला देगी. जांच के दौरान कुछ आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई, जिनमें सोनम रघुवंशी भी शामिल है. सोनम के जेल से बाहर आने के बाद से मृतक राजा रघुवंशी के परिजन लगातार जमानत का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी का जमानत पर बाहर रहना न्यायहित में नहीं है. सूत्रों के अनुसार, सबसे पहले जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद अब मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार ने याचिका में सोनम की जमानत निरस्त करने का आग्रह किया है.

वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है. विपिन ने कहा कि परिवार चाहता है कि हत्या के सभी आरोपियों को उनके अपराध के अनुरूप कड़ी सजा मिले.

शांति भंग करने के आरोप में तीन आरोपी रासुका के तहत निरुद्ध

उज्जैन, 2 जुलाई. मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में मोहर्रम के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई कर उन्हें जिला जेल भेज दिया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि बड़नगर क्षेत्र के अड़ान मोहल्ला निवासी शोएब, जाहिद और तपसील ने मोहर्रम के दौरान एक पुरानी वैन को सार्वजनिक स्थान पर लटकाकर उसमें पटाखे लगाकर प्रदर्शन किया था.

युवक और महिला को मिली जान से मारने की धमकी

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में दो अलग अलग मामलों में जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के प्रकरण सामने आए हैं.

एक मामले में हत्या के केस के गवाह को अदालत में बयान देने के कुछ घंटे बाद फोन कर गवाही बदलने का दबाव बनाया, जबकि दूसरे मामले में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला अधिवक्ता को एसिड फेंकने और गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा है. दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

> वहीं दूसरा मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र का है. थाना प्रभारी अनिल यादव ने बताया कि यहां महिला अधिवक्ता विनीता गुर्जर ने चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपियों ने पहले उनके पति से विवाद किया और विरोध करने पर मारपीट करते हुए एसिड फेंकने तथा गोली मारने की धमकी दी.

पहला मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र का है. थाना प्रभारी उमेश यादव ने बताया कि गाड़ी अड्डा निवासी करण धीमान अपने दोस्त राज कुशवाह की हत्या के मामले में गवाह है. बुधवार को उसने जिला न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे. आरोप है कि शाम को उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को हत्या के आरोपी के भाई के रूप में परिचित कराया. पहले कोर्ट में दिए गए बयान का हवाला देते हुए बातचीत की गई और बाद में दोबारा फोन कर करण व उसके एक साथी को जान से मारने की धमकी देने के साथ गवाही बदलने का दबाव बनाया. इसके बाद करण ने रावजी बाजार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

11,446 करोड़ के बैंक घोटाले में ईडी का शिकंजा

नव भारत न्यूज

इंदौर, 2 जुलाई. देश के बहुचर्चित 11,446.73 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल की पत्नी ऋतु सिंघल के नाम दर्ज 58.34 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्तियां कुर्क कर दी हैं.

- पूर्व प्रमोटर की पत्नी की 58.34 करोड़ की जमीन
- आवासीय संपत्ति, बैंक बैलेंस और शेयर कुर्क

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई इस कार्रवाई में इंदौर स्थित जमीन, आवासीय संपत्ति का एक हिस्सा, बैंक खातों में जमा राशि और इक्विटी शेयर शामिल हैं. ईडी की जांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) द्वारा भूषण स्टील लिमिटेड, नीरज सिंघल और अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी. जांच में सामने आया कि कंपनी से जुड़े कुछ लोगों ने वैध व्यावसायिक लेनदेन की आड़ में धन का दुरुपयोग किया, जिससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को 11,446.73 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा.

> जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार भूषण स्टील के संयंत्रों के लिए खरीदे गए जिंक इनगट्स को कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना खुले बाजार में बेच दिया. इससे प्राप्त नकदी को बाद में कथित तौर पर फर्जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) की एंट्री के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई. जांच के दौरान संबंधित बैंक खातों में बड़ी मात्रा में बेहिसाबी नकदी जमा होने के साक्ष्य भी मिले, जिन्हें ईडी ने अपने प्रकरण में महत्वपूर्ण आधार बनाया है. ईडी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में यह लगातार तीसरी बड़ी कुर्की की कार्रवाई है.